<u>न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं</u>

पीठासीन अधिकारीः—डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्याः— 435 / 2025

श्री मृदुल पारीक निवासी वार्ड नम्बर 23, चिडावा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं पिन कोड 333026

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिडावा।

——

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

——

<u>आदेश</u>

दिनांक 27.10.2025

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 07.10.2025 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 435 / 2025 पर दिनांक 07.10.2025 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिडावा के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिडावा को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिडावा से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2025 / 4508—509 दिनांक 07.10.2025 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिडावा ने पत्रांक सू0अ0 / 2025 / 44—46 दिनांक 24.09.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्राथी श्री मृदुल पारीक निवासी वार्ड नम्बर 23, चिडावा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाहने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जो इस कार्यालय से संबंधित न होकर अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, चिडावा से संबंधित था जिसको इस कार्यालय के पत्रांक सू0अ0 / 2025 / 44—46 दिनांक 24.09.2025 के द्वारा अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, चिडावा को सूचना उपलब्ध कराने हेतु नियमानुसार अन्तरित किया जा चुका है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिडावा ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पत्रांक सू0अ0 / 2025 / 44—46 दिनांक 24.09.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्राथी श्री मृदुल पारीक निवासी वार्ड नम्बर 23, चिडावा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाहने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जो उनके कार्यालय से संबंधित न होकर अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, चिडावा से संबंधित था जिसको उनके कार्यालय के पत्रांक सू0अ0 / 2025 / 44—46 दिनांक 24.09.2025 के द्वारा अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, चिडावा को सूचना उपलब्ध कराने हेतु नियमानुसार अन्तरित किया जा चुका है। चूंकि प्रार्थी का आवेदन पत्र सूचना उपलब्ध कराने हेतु संबंधित को नियमानुसार अन्तरित किया जा चुका है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 27.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं